REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262789 CG-DL-E-02052025-262789

> xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] No. 231] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 270(अ).- केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3.इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल और परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: commentsmorth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ –(1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (......संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जा सकता है।

(2) बशर्ते, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 115 के उप-नियम 2 के खण्ड (i) में, द्वीतीय परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि परीक्षण प्रक्रियाएं टीएपी दस्तावेज संख्या 115 और 116 या समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 137 या एआईएस-175,जैसा भी लागू हो, में निर्धारित की गई हैं।"

3. उक्त नियम में, नियम 115 के उप-नियम 18 में, खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-खण्ड (18)(i)(क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(18) (i) (क) **भारत स्टेज VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानक एम2 और एन1 श्रेणी के वाहनों के लिए डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण चक्र के साथ** जिनका जीवीडब्ल्यू 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं है और सभी मॉडलों के लिए 1 अप्रैल,2027 को या उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के सभी वाहनों के लिए निम्नानुसार होंगे।

तालिका 1: पीआई और सीआई आंतरिक दहन (कंबस्शन) इंजन वाले वाहनों के लिए निकास (एक्जास्ट) उत्सर्जन सीमाएं

श्रेणी	वर्ग	संदर्भ द्रव्यमान (आरएम) ⁽²⁾ (किलो)	कार्बन मोनोऑक्साइड- (सीओ)			ड्रो कार्बन क्सी) का मान			नाइट्रोजन ऑक्साइड - (एनओएक्स) का द्रव्यमान		कुल हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड (टीएचसी + एनओएक्स)का संयुक्त द्रव्यमान		पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)का द्रव्यमान		कर्णो (पार्टिकल्स) की संख्या (पीएन)	
			एरु (मिलीग्रा			त₂ म/किमी)		त ₃ म/किमी)		त₄ म/किमी)		⊦ एल ₄ म/किमी)	एल (मिलीग्राम्	ा/किमी)	(#/ि	न ₆ केमी)
			पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई ⁽¹⁾	सीआई	पीआई (1)	सीआई
एम	-	सभी	1000	500	100	-	68	-	60	80	-	170	4.5	4.5	6x10	6x10 11
	i	आरएम ≤ 1305	1000	500	100	-	68		60	80	-	170	4.5	4.5	6x10	6x10
एन 1	ii	1 305 < आरएम ≤ 1760	1810	630	130	-	90	-	75	105	-	195	4.5	4.5	6x10	6x10
	iii	1760 < आरएम	2 270	740	160	-	108	-	82	125	-	215	4.5	4.5	6x10	6x10

पीआई = पॉजिटिवइग्निशन, सीआई = कंप्रेशन इग्निशन

⁽¹⁾ पॉजिटिवइग्निशन के लिए, कण द्रव्यमान और कणों की संख्या की सीमा केवल डाइरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू होगी।

(2) संदर्भ द्रव्यमान को वाहन चालू रहने की स्थिति (रनिंग ऑर्डर) में द्रव्यमान +75 किग्रा माना जाएगा।

टाइप-अनुमोदन के लिए परीक्षण आवश्यकताओं की अनुप्रयोज्यता - बीएस VI, डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ, तालिका 2 के नियम 115 (18) (i) केसमान होगी, जिसमें स्पष्टीकरण नोट (1) से (5) शामिल हैं।

नोट्स -

- 1. परीक्षण चेसिस डायनेमोमीटर पर किया जाएगा।
- 2. ड्राइविंग साइकल सहित परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।

- उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) प्रयोजनों के लिए मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अनुपालन की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।
- 4. संदर्भ ईंधन के लिए विनिर्देश नियम 115(18)(i) के नोट 4 के समान होंगे।
- 5. क्रैंककेस वेंटिलेशन प्रणाली सेवायुमंडल में किसी भी क्रैंककेस गैस का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए।
- गैसोलीन ईंधन वाले वाहनों से वाष्पीकरण उत्सर्जन 2.0 ग्राम/परीक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए। गैसोलीन ईंधन वाले वाहनों के लिए वाष्पीकरण उत्सर्जन परीक्षण प्रक्रिया एआईएस-175 में निर्दिष्ट औरसमय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) परीक्षण प्रक्रिया एआईएस 175 में वर्णित और समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- 8. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) आवृत्ति और सैंपल के नियम 115 (18) (i) के नोट 8 के समान होंगे।
- 9. वाणिज्यिक ईंधन के लिए विनिर्देश नियम 115(18)(i) के नोट 9 के समान होंगे।
- 10. एनओएक्स न्यूनीकरण एजेंट एयूएस32 (एक्वेटिक यूरिया सोल्यूशन) के विनिर्देश नियम 115(18) (i) के नोट 10 के समान ह**ो**ंगे।
- 11. डीजल वाहनों के लिए नजर आने वाले प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन की आवश्यकताएं नियम 115 (18) (i) के नोट 11 के समान होंगी।
- 12. इंजन की शक्ति को इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा और मापी गई शक्ति के लिए प्रक्रिया और आवश्यकताएं नियम 115 (18) (i) के नोट 12 के समान होंगी।
- 13. टाइप II परीक्षण: इस उप-खंड में निर्दिष्ट पीआई इंजन लगे वाहन नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (i)के प्रावधानों,जैसा लागू हो का अनुपालन करेंगे।
- 14. फ्री एक्सलरेशन स्मोक: इस उप-खंड में निर्दिष्ट सीआई इंजन वाले वाहन नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (ii) के प्रावधानों,जैसा लागू हो का अनुपालन करेंगे।
- 15. गिरावट कारक (डिटिरिओरेशन फैक्टर) निम्नलिखित तालिका में दिए अनुसार होगा: -

तालिका 2: डिटिरिओरेशनफैक्टर नीचे दिए अनुसार होगा: बीएस VI – डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण चक्र

12911711	कार्बन मोनाऑक्साइड (सीओ)		नॉनमीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचस)	नाइट्रोजन ऑक्साइड -	हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड (टीएचसी + एनओएक्स)	पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	कणों (पार्टिकल्स) की संख्या (पीएन)	
पॉजिटिव इग्निशन	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0	
कंप्रेशनइग्निशन	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 175 के अनुसार संपूर्ण वाहन या बेंच एजिंग ड्यूरेबिलिटी परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करके डिटिरिओरेशन फैक्टर बनाए जाएंगे।							

(i) वैकल्पिक रूप से, वाहन विनिर्माता पीआई वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 175 के अनुसार डिटिरिओरेशन फैक्टर के मूल्यांकन के लिए 1,60,000 किमी के वाहन एजिंग परीक्षण या बेंच एजिंग ड्यूरेबिलिटी परीक्षण का विकल्प चुन सकता है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 175 के अनुसार वाहन का परीक्षण ट्रैक, सड़क या चेसिस डायनेमोमीटर अथवा इंजन टेस्ट बेंच पर यह परीक्षण किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त एजिंग परीक्षण नियम 126 में निर्दिष्ट अनुमोदित परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। 16. वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (बीएस VI - ओबीडी) सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-175 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहीत दोष कोड के माध्यम से खराबी के संभावित क्षेत्र की पहचान करने की क्षमता होगी, जब उस विफलता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित तालिका में दी गई सीमाओं से अधिक उत्सर्जन में वृद्धि होती है, अर्थात्: -

नानिका २०१ शतै	च २०२७ को गा	ज्यके बाद	निर्तित की	गम VI नाननों के	लिए ओबीडी सीमा
તાલવગુરુ, દુલગ્ર	୯୩ ZUZ <i>1</i> ଏହା ସା	उत्तम भाष	ા ગામલ બા	एत-v। पाहना फ	ालए जाबाङा त्तामा

क्र.सं.			संदर्भ द्रव्यमान (आरएम) ⁽²⁾ (कि.ग्रा.)		सीओ (मिलीग्राम/किमी)		ाएचसी/ गिग्राम न्मी)		ा (मिलीग्राम जमी)	पीएम (मिलीग्राम /किमी)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	श्रेणी	वर्ग		पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई ⑴	सीआई
(2)	एम(एम1 और एम2)	-	सभी	1900	1750	170	290	90	140	12	12
(3)		I	आरएम ≤ 1305	1900	1750	170	290	90	140	12	12
(4)	एन1	11	1305 < आरएम ≤ 1760	3400	2200	225	320	110	180	12	12
(5)		111	1760 < आरएम	4300	2500	270	350	120	220	12	12
	(1) पॉजिटिव इग्निशन के लिए, पार्टिकुलेट द्रव्यमान डाइरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू होगा। (2) संदर्भ द्रव्यमान को वाहन चालू रहने की स्थिति)रनिंग ऑर्डर) में द्रव्यमान +75 किग्रा माना जाएगा।										

17. इन नियमों का अनुपालन करने वाले बीएस VI वाहनों के लिए इन यूज परफॉर्मेंस रेश्यो (आईयूपीआर), ओबीडी प्रणालियों के एक विशिष्ट मॉनिटर एम का इन यूज परफॉर्मेंस रेश्यो (आईयूपीआर) होगा:

आईयूपीआरएम = अंश (न्युमिनेटर)/ हर (डीनोमीनेटर)

i. अंश (न्युमिनेटर) और हर (डीनोमीनेटर) की तुलना यह संकेत देती है कि वाहन संचालन के सापेक्ष एक विशिष्ट मॉनिटर कितनी बार संचालित होता है।

आईयूपीआर को ट्रैक करने के लिए विस्तृत आवश्यकताएँ एआईएस 175 में दी गई हैं।

- ii. यदि एआईएस 175 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, वाहन एक विशिष्ट मॉनिटर एम से सुसज्जित है. तो आईयपीआरएम निम्नलिखित न्युनतम मानों से अधिक या उनके बराबर होगा।
- ए. वाष्पीकरण उत्सर्जन शुद्धिकरण नियंत्रण मॉनीटर के लिए 0.520.
- बी. अन्य सभी मॉनीटरों के लिए 0.336.
- सी. सेकेंडरी एयर सिस्टम मॉनीटर और कोल्ड स्टार्ट संबंधित अन्य मॉनीटर के लिए 0.260.
- 18. वाहनों का इन सर्विस अनुपालन एआईएस 175 में निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- 19. इन नियमों का अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए टाईप अनुमोदन के दौरान 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद निर्मित सभी मॉडलों के लिए, यथा संशोधित एआईएस 175 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पीईएमएस का उपयोग करके रीयल वर्ल्ड ड्राइविंग सायकल उत्सर्जन मापा जाएगा। आरडीई अनुरूपता कारक (सीएफ), निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा अर्थात्:-

तालिका 4: अनुरूपता कारक (सीएफ)

प्रदूषक	सीएफ प्रदूषक
एनओएक्स	1 + मार्जिन ^(३) एनओएक्स मार्जिन एनओएक्स के साथ= 0.43
पीएन (1)	1 + मार्जिन ⁽³⁾ पीएन मार्जिन पीएन के साथ= 0.5
सीओ ⁽²⁾	-

- 1. प्रयोज्यता: पॉजिटिव इग्निशन (प्रत्यक्ष इंजेक्शन) इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए
- 2. कार्बन मोनोक्साईड उत्सर्जन को आरडीई परीक्षणों में मापा और दर्ज किया जाएगा।
- मार्जिन एक पैरामीटर है जो पीईएमएस उपकरण द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त माप अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है।
- सीएनजी या बायो-सीएनजी या एचसीएनजी वाहन एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1, जैसा लागू हो के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
- 5. ई85 और ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता परिभाषित की जाएगी और इसे एआईएस 171:2021 के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 4. उक्त नियमावली में, नियम 115-छ में, उप-नियम (2) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-नियम (1) के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, दस्तावेज़ संख्या एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 या समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 के अनुसार निर्धारित होगी। 1 अप्रैल 2027 को और उसके बाद, उप-नियम (1) के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-175 के अनुसार निर्धारित होगी"

[फा. सं. आरटी-11036/25/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांकितद्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

G.S.R. 270(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by section 110 the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL&Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in the rules they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115, sub rule 2, in clause (i), second proviso shall be substituted namely: -

"Provided further that testing procedures are prescribed in TAP documents Nos. 115 and 116 or AIS 137 or AIS-175, as applicable, as amended from time to time."

3. In the said rules, in rule 115, sub rule 18, after clause (i), following new sub-clause (18)(i)(A) shall be inserted namely: -

"(18) (i) (A) **Bharat Stage VI (BS-VI) emission standards with WLTP test cycle** for vehicles of categories M2 and N1 with GVW not exceeding 3500kg and to all vehicles of category M1 manufactured on or after 1st April 2027 for all models, shall be as under.

Category	Class	Reference Mass (RM) ⁽²⁾ (kg)	Mas cart mo oxid (CO	oon on le -	Mass tot: hyd carbo (TH	al ro ons - C)	Mass nonmet hydroca (NMI	hane rbons	oxic nitr	iss of les of ogen NOx)	mass hydro and o nit	mbined s of total ocarbons oxides of trogen C + NOx)	Mass of particulate matter (PM)		Number of particles (PN)	
			L (mg/	-	L: (mg/l		L3 (mg	/km)		L4 g/km)		2 + L4 (g/km)	L5 (m	g/km)	km) L6 (#/km)	
			PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI (1)	CI	PI (1)	CI
М	-	All	1000	500	100	-	68	-	60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹
	Ι	RM ≤ 1305	1000	500	100	-	68		60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹
N1	II	1 305 < RM ≤ 1760	1810	630	130	-	90	-	75	105	-	195	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹
	III	1760 <rm< td=""><td>2 270</td><td>740</td><td>160</td><td>-</td><td>108</td><td>-</td><td>82</td><td>125</td><td>-</td><td>215</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>6x10¹¹</td><td>6x10¹¹</td></rm<>	2 270	740	160	-	108	-	82	125	-	215	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹

TABLE 1: Exhaust Emission Limits for Vehicles Fitted with PI and CI Internal Combustion Engines

PI = Positive Ignition, CI = Compression Ignition

⁽¹⁾ For Positive Ignition, Particulate mass and number of particles limit shall apply only to vehicles with Direct Injection Engines.

⁽²⁾ Reference Mass shall be considered as Mass in Running Order +75kg.

Application of Test Requirements for Type-Approval – BS VI, with WLTP test procedures, shall be same as that of Table 2 of rule 115 (18) (i) including explanatory note (1) to (5) only.

Notes. -

- 1. The test shall be on Chassis Dynamometer.
- The test procedure including driving cycle shall be as provided in AIS-175 as amended from time to time.
- 3. There shall be no relaxation of norms for Conformity of Production (COP) purposes and procedure for compliance shall be as per AIS-175 as amended from time to time.
- 4. Specifications for Reference Fuels shall be same as that of note 4 of Rule 115 (18) (i).
- Crankcase ventilation system shall not permit the emission of any of the crankcase gases into the atmosphere.
- 6. Evaporative emission shall not be more than 2.0g/test from Gasoline fueled vehicles. The evaporative emission test procedure for gasoline fueled vehicles shall be as per the procedure specified in AIS 175 and as amended from time to time.
- 7. The Conformity of Production (COP) testing procedure shall be as described in AIS 175 and as amended from time to time.
- 8. Conformity of Production (COP) frequency and samples shall be same as that note 8 of rule 115 (18) (i).
- 9. Specifications for Commercial Fuels shall be same as that note 9 of rule 115 (18) (i).
- Specifications of NOx reduction agent AUS 32 (Aqueous Urea Solution) shall be same as that of note 10 of Rule 115 (18) (i).
- 11. For Diesel vehicles, the requirements for the emission of visible pollutants (smoke) shall be same as that of note 11 of Rule 115 (18) (i).
- 12. The engine power shall be measured on engine dynamometer and the procedure and requirements for the measured power shall be same as that of note 12 of Rule 115 (18) (i).
- 13. Type II Test: Vehicles fitted with PI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.
- 14. Free Acceleration Smoke: Vehicles fitted with CI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.
- 15. Deterioration Factor shall be as given in the following Table: -

Table 2: Deterioration Factor shall be as given below: BS VI - WLTP Test Cycle

. ·				Assig	ned Deteriora					
Engine Category	со	тнс	NMHC	NOx	HC+NOx	Particulate Matter (PM)	Particle Number (PN)			
Positive Ignition	1.5	1.3	1.3	1.3 1.6 - 1.0 1.0						
Compression Ignition		Deterioration Factors shall be established by using the whole vehicle or bench aging durability test procedures as per AIS 175 as amended from time to time.								

(i) Alternatively, for PI vehicles, the vehicle manufacturer may opt for a vehicle ageing test of 1,60,000 km or bench ageing durability test, for evaluating the Deterioration factor as per AIS 175 and as amended from time to time.

(ii) This test may be performed by driving vehicle on a test track, on the road, or on a chassis dynamometer or Engine Test Bench as per AIS 175 and as amended from time to time

(iii) The above ageing test should be carried out by the approved test agency specified in rule 126.

16. The vehicles shall be equipped with On-Board Diagnostic (BS VI - OBD) systems for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of malfunction by means of fault codes stored in computer memory as per the procedure laid down in AIS-175 and as amended from time to time when that failure results in an increase in emission above the limits given in the following Table, namely:-

 Table 3: OBD Threshold for BS-VI vehicles manufactured on or after 1st April 2027

Sl. No.			Reference mass (RM) ⁽²⁾ (kg)		CO g/km)		[HC/ ;/km)		Ox g/km)	-	M /km)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	Category	Class		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI (1)	CI
(2)	M(M1 & M2)	-	All	1900	1750	170	290	90	140	12	12
(3)		Ι	RM ≤ 1305	1900	1750	170	290	90	140	12	12
(4)	N1	Π	1305 < RM ≤ 1760	3400	2200	225	320	110	180	12	12
(5)		Ш	1760 < RM	4300	2500	270	350	120	220	12	12
			rticulate mass apply only to vehi e considered as Mass in Running				ction e	ngine	8		

17. In-use performance ratio (IUPR) for BS VI vehicles complying to these rules, the in-use performance ratio (IUPR) of a specific monitor M of the OBD systems shall be:

IUPR_M = Numerator/ Denominator

- i. Comparison of Numerator and Denominator gives an indication of how often a specific monitor is operating relative to vehicle operation. Detailed requirements for tracking IUPR are given in AIS 175.
- ii. If, according to the requirements specified in AIS 175, the vehicle is equipped with a specific monitor M, IUPR_M shall be greater or equal to the following minimum values.
 - a. 0.520 for evaporative emission purge control monitors.
 - b. 0.336 for all other monitors.
 - c. 0.260 for secondary air system monitors and other cold start related monitors.
 - 18. In service compliance of vehicles shall be as per procedure laid down in AIS175 and as amended time to time.
 - 19. For the vehicles complying to these Rules, Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for vehicles as per the procedure laid down in AIS 175 as amended from time to time, manufactured on or after 1st April, 2027, for all models during Type Approval. The RDE Conformity Factor (CF), shall be as per following Table namely:-

Table 4:	Conform	ity F	factor ((CF)	l

Pollutant	CFpollutant				
NOx	1 + margin ⁽³⁾ NOx				
NOX	With margin $NOx = 0.43$				
PN ⁽¹⁾	1 + margin ⁽³⁾ PN				
rn V	With margin $PN = 0.5$				
CO ⁽²⁾	-				

- 1. Applicable for: Positive Ignition (Direct Injection) engines and Compression Ignition Engines only
- 2. CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests.
- 3. Margin is a parameter taking into account considering the additional measurement uncertainties introduced by the PEMS equipment.
- 4. The CNG or Bio-CNG or HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.
- 5. The compatibility of vehicle to the level of Ethanol blend of E85 and E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS 171:2021.
- 4. In the said rules, in rule 115-G, in the sub-rule (2), the following text shall be substituted namely: -

"(2) The procedure for ensuring compliance under sub-rule (1) shall be as laid down in Document No. MoRTH/CMVR/TAP-115/116 or AIS 137, as amended from time-to-time. On and after 1st April 2027, the procedure for ensuring compliance under sub-rule (1) shall be as laid down in AIS-175 as amended from time to time"

[F. No. RT-11036/25/2025-MVL] Mahmood Ahmed, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. (E) dated _____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.